न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :— 50 / 2024
निर्णय दिनांक :— 02.05.2025
बइजलास :— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. अमरनाथ पुत्र शिवजीराम
2. अमित शर्मा पुत्र शिवजीराम.
3. शिवजीराम पुत्र माधो

समस्त जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थी

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :— श्री बुद्धिप्रकाश शर्मा वकील प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती राजस्व नक्शा ट्रेस
अन्तर्गत धारा 111, 128, 131 एल.आर.एक्ट.

निर्णय — दिनांक :— 02.05.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी ख.न. 1473 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, ख.न. 1474 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, ख.न. 3854 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, ख.न. 3855 रकबा 0.2782 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर, पटवार हल्का फागी उत्तर, भू.अ.नि. क्षेत्र फागी, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त है। राजस्थान सरकार की डीआईएलआरएमपी योजना के तहत तरमीम करते समय सहवन से राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण की वर्णित आराजी की गलत रूप से तरमीम कर दी गई जिससे मौका स्थिति में ही परिवर्तन हो गया जबकि प्रार्थीगण पर्चा सेटलमेन्ट सम्वत् 2011 के अनुसार ही सभी आस—पडौस के खातेदार काबिज काश्त है जबकि नवीन नक्शे में बिल्कुल विपरीत तरमीम कर दी गई है जबकि पूर्व सेटलमेन्ट नक्शा अनुसार ख.न.

लगातार.......................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला–जयपुर

3856 किस्म गै.मु. चाह जो प्रार्थीगण की आराजी ख.न. 1473 की दक्षिण पश्चिम मेर पर व ख.न. 3855 की पश्चिम उत्तरी कोने पर स्थित था जिसको नवीन नक्शे में राजस्व कर्मचारियों की गलती से वर्तमान नक्शा 1473 से हटाकर उक्त सीमा चिन्ह 3856 को ख.न. 1472 की पश्चिम उत्तरी मेड कोने पर स्थित दर्शाया गया है जो उक्त तरमीम गलत है। उक्त तरमीम गलत होने से वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट के अनुसार काबिज खातेदारों में वाद–विवाद उत्पन्न हो रहा है। नजरी नक्शा संलग्न है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। उक्त गलत तरमीम के के आधार पर पडौसी खातेदार द्वारा उक्त नवीन तरमीम के आधार पर सीमाज्ञान करवाने के बारे में कहने पर नवीन तरमीम के आधार पर आराजी को बेचान करने पर आमादा है जिसके मौके पर तरमीम में हुयी गलती से परिवर्तन हो गया है जिससे सभी खातेदार हैरान–परेशान है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने बाबत् प्रार्थीगण ने तहसीलदार फागी के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें तहसीलदार फागी ने उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त करने से इंकार कर दिया एवं न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिये कहा तो प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। अभी हाल ही में दिनांक 25.03.2025 को गलत तरमीम के आधार पर उक्त भूमि को बेचान की चर्चा हेतु नक्शा प्रार्थीगण ने देखा तो भविष्य में आस–पडोसी खातेदारों से लडाई–झगडा विवाद नहीं हो इसलिये तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण सम्वत् 2011 में जारी पर्चा सेटलमेन्ट नक्शा अनुसार वर्तमान गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है जिसे मान्य न्यायालय को सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पक्षकारान् व विवादग्रस्त आराजी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रार्थना पत्र की सुनवाई व निस्तारण का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को बखूबी प्राप्त है।

प्रार्थना दर्ज रजिस्टरं किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

लगातार...........................3

(3)

संख्या 1 पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा जवाब पेश किया। अपने जवाब में बताया कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1473 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, खसरा नं. 1474 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, खसरा नं0 3854 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नं0 3855 रकबा 0. 2782 हैक्टेयर राजस्व ग्राम फागी उत्तर दर्ज रिकार्ड है। जिसके खाता सं0 724 नाम खातेदार अमरनाथ पुत्र शिवजीराम, अमित शर्मा पुत्र शिवजीराम, शिवजीराम पुत्र माधो जाति बांरागांव ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं. 1473 कि वर्तमान डीआईएलआरएमपी शीट व सेटलमेन्ट शीट संवत 2011 से मिलान करने पर पाया कि तत्कालीन पटवारी द्वारा डीआईएलआरएमपी योजना के तहत उक्त खसरों में किसी प्रकार कि कोई तरमीम नहीं की परन्तु विवादग्रस्त खसरों की सेटलमेन्ट नक्शें से जांच करने पर पाया कि उक्त खसरे की दोनो शीटों को जोड पर स्थित है। जिससे वर्तमान में डीआईएलआरएमपी शीट में उक्त खसरों की मूल आकृति में परिवर्तन हो गया जिसकी दोनों नक्शों की प्रति संलग्न कर पेश है। तत्कालीन पटवारी द्वारा उक्त खसरा नम्बरों मे कोई भी तरमीम नही की गई परन्तु वर्तमान डीआईएलआरएमपी एवं उपलब्ध कराया गया सेटलमेन्ट नक्शे में उक्त खसरों की आकृति में भिन्नता है व मिलान नहीं हो रहा है।

बहस सुनी गई। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 वाके ग्राम फागी उत्तर के खाता संख्या 724 मे प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। तहसीलदार फागी ने भी अपने जबाब मे ग्राम फागी उत्तर में खसरा नं. 1473 की वर्तमान डीआईएलआरएमपी शीट एवं सेटलमेन्ट शीट में भिन्नता बताया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1473, 1474, 3854, 3855 भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार फागी द्वारा

लगातार.............................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

(4)

अमरनाथ वगै0 बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 50 / 2025
निर्णय दिनांक:– 02.05.2024

प्रस्तुत रिपोर्ट व सेटलमेन्ट शीट संवत 2011 के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को सरे इजलास सुनाया जाता है।

2/5/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला जयपुर

सत्यमेव जयते